महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-8/2017/313/सैंतीस-2-2017-33(5)/84टी0सी0

प्रेषक,

डॉ सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक-03 मार्च, 2017

विषय- ई-प्रोक्योरमेन्ट लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-72/78-2-2008-44आई0टी0/2016 दिनांक-11-01-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग में क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया को लागू किया जाता है।

2- उ0प्र0 पशुपालन निदेशालय स्तर पर दिनांक-15-03-2017 के पश्चात एवं मण्डल/जिला स्तर पर दिनांक-01-09-2017 के पश्चात सभी क्रय ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ही किये जायेंगे। ई-प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया लागू करने हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के साथ समन्वय स्थापित कर अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय तथा इस हेतु क्रय समिति के 04 अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करा लिया जाय।

3- विभाग में दवाओं/वैक्सीनों एवं अन्य सामग्रियों के क्रय के संबंध में ई-प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया का अपने-अपने क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद उत्तरदायी होंगे ।

4- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा इस हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई-प्रोक्योरमेन्ट के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था लागू किये जाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा इस हेतु समय-समय पर मानीटरिंग सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2017/313(1)/सैंतीस-2-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, आई0टी0 इलेक्टानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन ।
2- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ।
3- स्टाफ आफिसर एवं विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
5- पशुधन अनुभाग-1/3, उ0प्र0शासन ।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।